

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
90 / 2022	FSS ACT	09.12.2022	26.09.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

1. श्री मनीष गर्ग पुत्र श्री रामनिवास गर्ग, उम्र 28 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स:- रामनिवास मनीष कुमार, श्याम वाटिका के पास बाडी धौलपुर निवासी सदर बाजार बाड़ी, धौलपुर

—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 26.09.2025



उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार दिनांक 17.10.2022 को दोपहर 01:00 बजे मैसर्स:- रामनिवास मनीष कुमार, श्याम वाटिका के पास बाडी धौलपुर पर पहुंचा मौके पर मौजूद व्यक्ति के नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री मनीष गर्ग पुत्र श्री रामनिवास गर्ग, उम्र 28 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स:- रामनिवास मनीष कुमार, श्याम वाटिका के पास बाडी धौलपुर निवासी सदर बाजार बाड़ी, धौलपुर का होना बताया विक्रेता से खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होंने खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर दिखाया। जो आवेदन के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान निर्माण इकाई ऑयल मिल पर मौजूद ड्रम में लगभग 250 किलो ग्राम तेल रखा हुआ था जो कि आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस तेल में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त तेल का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त 250 किलोग्राम तेल में से 1.6 किलो ग्राम तेल वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मनीष गर्ग पुत्र श्री रामनिवास गर्ग को रु. 224/- (दो सौ चौबीस रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1.6 किलो ग्राम तेल को विक्रेता एवं गवाहन चार खाली साफ एवं सूखी बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा सरसों का तेल को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर एवं प्रत्येक बोतल के ढक्कन को लगाकर एकदम ऐयरटाइट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 2606 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर आवेदन द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं० डी 2606 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार-चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर मैंने भी हस्ताक्षर किये एवं चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर मनीष गर्ग पुत्र रामनिवास गर्ग के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं० vi की एक प्रति के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/570 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/1050/एक्ट/2022/1051 दिनांक 20.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सरसों का तेल सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति कर पाया गया मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है।



आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जबाब पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जबाब में कहा अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की है फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनर्वावृत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR,(RAJASTHAN).** की **REPORT NO.LS/1050/Act/2022/1051 DATE 20-10-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"Opinion- The sample of "Mustard Oil" bring Code No- and Sr. No. D-2606 of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dhoolpur is Sub-Standard as it does not conform to the Prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Act, 2006.

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैंडर्ड सरसों का तेल का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड सरसों का तेल बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री मनीष गर्ग पुत्र श्री रामनिवास गर्ग, उम्र 28 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स:- रामनिवास मनीष कुमार, श्याम वाटिका के पास बाडी धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 7100/-रुपये (सात हजार सौ रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

DL  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
धौलपुर (राज.)

DL  
36/11/24  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
धौलपुर (राज.)